

परियोजना का नाम

:- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की माँग न्यूनतम होने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रायोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा याचित 5.8695 हो वन पंचायत तथा सिविल एवं सोयम भूमि की माँग न्यूनतम है इससे कम भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

कनिष्ठ अभियन्ता

पी०ए०जी०ए०स०वाई

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

सहायक अभियन्ता

पी०ए०जी०ए०स०वाई

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

अधिशासी अभियन्ता

पी०ए०जी०ए०स०वाई

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

कनिष्ठ अधिकारी
शेरबर रेज
अकरण वन प्रभारी

उप-प्रभारी नाविकारी
करता दा प्रभारी
कालसी

प्रभारी वनाविकारी
करता कल प्रभारी
प्रभारी वनाविकारी



परियोजना का नाम :— जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सङ्क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित सिविल एवं सोयम वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रायोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।

कनिष्ठ अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

सहायक अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

अधिशासी अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

राजस्व उप निरीक्षक

श्री

दिनांक

14-5-2018

उपजिलाधिकारी

उप जिलाधिकारी
कालसी



जिलाधिकारी
जिलाधिकारी देहरादून

उप-मन्त्रीय वनाधिकारी
बकराता वन प्रभाप्य
कालसी



परियोजना का नाम

— जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सङ्करण योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 किमी), के नव निर्माण हेतु बन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना से लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न ग्रामों/परिवारों/जनसंख्याओं को लाभ प्राप्त होगा।

क्र० सं०	गाँव का नाम	कोड संख्या	जनसंख्या
1	दसउ	479200,H41	238
2	अतल्यों	479700,H03	325
कुल योग			563

कॉन्स्ट अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद देहरादून के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु कुल 9.7305 हेठो भूमि प्रस्तावित है। जिसमें वन पंचायत एवं सिविल सोयम वन भूमि 5.8695 है० प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11-९ / ९८-एफ०सी० दिनांक 05.02.2013 के द्वारा सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल, पाईपलाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (**Primitive Tribal Groups**) व पूर्व कृषि समुदाय (**Primitive Agricultural Tribal Groups**) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

४०/-

जिलाधिकारी
जिलाधिकारी देहरादून

Name of Work :- Daman to Dasau motor road

Annexure-1

FORM - 1
Government of Uttarakhand
Office of the District collector : Dehradun

No.

Date :

To Whomsoever it May Concern

In compliance of the ministry of Environment and forests (MoEF) Government of India's Letter no. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Department, Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Daman to Dasau (12.675 Km) motor Road under PMGSY in Dehradun district falls with in jurisdiction of Dasau village in Kalsi Tehsil.

It is further certified that :

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 8.3305 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure _____.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl.- As above.

Signature
(District Collector)

It is further certified

S.No.		Remarks
1	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire <u>8.3305</u> hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure _____.	Not applicable as there are no habitat's belonging to Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers.
2	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas given their consent to it.	Not applicable as there are no habitat's belonging to Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
3	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Not applicable as there are no habitat's belonging to Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers.


Encl.- As above.

Signature
(District Collector)

परियोजना का नाम :— जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसठ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रायोजन हेतु आवश्यक धनराशि वन विभाग को उनकी माँग के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अधिकारी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 किमी), के नव निर्माण हेतु यन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

- से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी०ए०जी०ए०स०वाई
निर्माण खण्ड लो०नी०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

सहायक अभियन्ता
पी०ए०जी०ए०स०वाई
निर्माण खण्ड लो०नी०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
पी०ए०जी०ए०स०वाई
निर्माण खण्ड लो०नी०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सङ्कर योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रायोजन हेतु 5.8695 हौ० सिविल सोयम भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य रु०हौ० की दर से कुल मूल्य रु० होता है तथा वार्षिक लीज रेन्ट शून्य रु० होता है।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी०ए०जी०ए०स०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

सहायक अभियन्ता
पी०ए०जी०ए०स०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अधिशासी अभियन्ता
पी०ए०जी०ए०स०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

राजस्व उप निरीक्षक
रा० ला० ना० अ०
श्रृं १५ ना०
दिनांक १४/८/६४
(१४ अगस्त)



विधानसभा अधिकारी
रीबर रेज
एकरता वन प्रभाग

C.S.
उप जिलाधिकारी
कालसी



जिलाधिकारी वनाधिकारी
एकरता वन प्रभाग
कालसी


जिलाधिकारी वनाधिकारी
एकरता वन प्रभाग
कालसी (देहरादून)

परियोजना का नाम


:- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसठ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन०पी०वी० जमा कराये जाने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन०पी०वी० की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा करा दी जायेगी।


अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



परियोजना का नाम :— जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सङ्कर योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसठ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन०पी०वी० की धनराशि जमा कराने सम्बन्धी प्रमाण—पत्र

(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 एवं 09.05.2008 के अनुसार)

(A) प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र 5.8695 है० माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 के अनुसार निर्धारित इको क्लास के अन्तर्गत आता है।

उपरोक्त अनुसार उक्त वन क्षेत्र का घनत्व 0.1 से 0.2 प्रतिशत है जिस हेतु एन०पी०वी० की प्रति है० दर रु० 8.45 मात्र है। उक्त दर के अनुसार एन०पी०वी० की धनराशि का आगणन रु० 49.592 किया गया है तथा वार्षिक लीज रेन्ट 00.00 प्रतिशत की दर से 00.00 रु० होता है। जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

कैनिष्ट अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

सहायक अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

अधिशासी अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



परियोजना का नाम :— जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसठ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

स्थल विशिष्ट होने न होने का प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल स्थलीय विशिष्ट है।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी०ए०जी०ए०स०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०ए०जी०ए०स०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
पी०ए०जी०ए०स०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


रिषभ राज
वन प्रभाव
कर्ता (देहरादून)


प्रमोद बनाधिकारी
प्रमोद कुमार प्रभाव
कर्ता (देहरादून)




प्रमोद बनाधिकारी
प्रमोद कुमार प्रभाव
कर्ता (देहरादून)